आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
17.11.2023	**वाद संख्या–53 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष श्री संदेशा प्रधान एवं अन्य, पंचायत–कोड़ाकेल, मुरहू, जिला–खूँटी अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, खूँटी आयोग कार्यालय में उपस्थित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुनवाई में उपस्थित हैं, जबकि शिकायतकर्ता का संपर्क नंबर नहीं होने के कारण उनसे संपर्क नहीं किया जा सका। आयोग के पिछले आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने आयोग को मुखिया / ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित ग्राम सभा की वीडियोग्राफी की सी0डी0 आयोग को उपलब्ध कराई है, जो आयोग के अभिलेख में उपलब्ध है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा भेजे गये सी0डी0 में शिकायतकर्ता श्री संदेशा प्रधान ने अपना यह बयान दर्ज कराया है कि शिकायत उनके नाम से किया गया है लेकिन उन्होंने किसी शिकायत–पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया है और फर्जी हस्ताक्षर कर उनके नाम का शिकायत दर्ज की गई है। चूंकि शिकायतकर्ता श्री संदेशा प्रधान ने अपना वीडियो बयान दर्ज कराई है। अतः आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx126	